भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2208
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नियोजित महिलाएं

2208. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क. आंगनवाड़ी सेवाओं, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण भारत में कार्यरत महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

ख. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे वेतन/मानदेय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

ग. क्या सरकार को इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं के वेतन/मानदेय के लंबित/विलंबित भुगतान और पारिश्रमिक में वृद्धि की मांगों के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) : 15वें वित्त आयोग में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए पोषण सहायता, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना के घटकों को मिशन सक्षम आगंनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत पुनर्गठित किय गया है ताकि इसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो

सके एवं अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण वितरण को सुनिश्चित किय जा सके। पोषण, प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाओं के समग्र पैकेज-रूप में प्रदत्त ये छह सेवाएँ मिशन पोषण 2.0 के तहत देशभर में स्थित 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

छः सेवाओं में से तीन सेवाएँ- अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ये सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत नीतियों और नियोजन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है, जबकि दैनिक कार्यक्रम-कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से जुड़ी "मानद कार्यकर्ता" हैं, जो स्वेच्छा से बाल देखभाल एवं विकास के क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करने हेतु आगे आती हैं, ताकि स्थानीय समुदाय को सहयोग मिल सके। इनके कार्य के लिए इन्हें मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का विवरण अनुलग्नक–I में है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय प्रदान किया जाता है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय ₹3,000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹4,500/- प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय ₹1,500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹2,250/- प्रतिमाह कर दिया है, जो केन्द्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से भी इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन/टॉप-अप प्रदान करते हैं, जिनकी राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का विवरण अनुलग्नक–II में है।

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को ₹500/- तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ₹250/- प्रतिमाह प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बेहतर निगरानी एवं सेवाओं के प्रभावी वितरण हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर, जो एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटाइज कर दिया है, जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा आंगनवाड़ियों में संचालित सभी गतिविधियों की ततसमय निगरानी सुनिश्चित होती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने एवं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

i. पदोन्नति**:** मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद को 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरा जाएगा। पर्यवेक्षक के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते, अन्य मानदण्ड पूरे हों।
ii. अवकाश**:** 20 दिनों का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों की अनुपस्थिति हेतु सवेतन मातृत्व अवकाश, गर्भपात/मिसकैरेज होने पर एक बार में 45 दिनों की अनुपस्थिति हेतु सवेतन अवकाश।
iii. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करें। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
iv. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष की उम्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन सुरक्षा (जिसमें जीवन को जोखिम, किसी भी वजह से मौत शामिल है) के लिए बीमा लाभ दिए गए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 18-59 वर्ष की उम्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता की स्थिति में) का दुर्घटना कवर दिया गया है।
v. सेवानिवृत्ति की तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए समान सेवानिवृत्ति तिथि अपनाई जाए, जो प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल हो, ताकि मानव संसाधन की उचित योजना सुनिश्चित हो सके।

vi. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के अनुसार, सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक हेल्थकेयर कवरेज प्रदान किया गया है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना एक प्रमुख अधिकार-आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाल वाटिका (कक्षा-I से ठीक पहले) तथा कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पौष्टिक और पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक विद्यालयों में लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर करती है।

योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी, जिसमें पात्र बच्चों को पौष्टिक एवं पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करना तथा रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) की नियुक्ति करना शामिल है, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की होती है। हालांकि, ये सीसीएच स्थानीय समुदाय से जुड़े "मानद कार्यकर्ता" हैं, जो सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वेच्छा से आगे आए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन सीसीएच को उनकी सेवाओं के सम्मान में प्रति वर्ष 10 माह के लिए मासिक ₹1,000/- का मानदेय निर्धारित किया गया है और यह जारी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधि प्रदान कर मानदेय बढ़ाने का अधिकार रखते हैं, और कई राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने मानदेय में वृद्धि हेतु अतिरिक्त निधि भी प्रदान की है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं का उपयोग करते हुए केंद्रीकृत रसोईघरों के माध्यम से योजना को संचालित कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत सीसीएच का राज्यवार विवरण अनुलग्नक–III में दिया गया है। पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीसीएच को प्रदान किए गए मानदेय का विवरण अनुलग्नक–IV में है।

*****

अनुलग्नक।

"विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिलाएँ" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं का विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**पदस्थापित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती**	**पदस्थापित आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	54944	47356
2	बिहार	110161	99990
3	छत्तीसगढ	52002	50359
4	गुजरात	50277	48897
5	हरियाणा	23194	20716
6	हिमाचल प्रदेश	18580	17759
7	जम्मू और कश्मीर	28082	27972
8	झारखंड	37812	36510
9	कर्नाटक	66098	59298
10	केरल	33051	33066
11	मध्य प्रदेश	95058	79598
12	महाराष्ट्र	108560	104527
13	ओडिशा	73475	71964
14	पंजाब	25343	23239
15	राजस्थान	60625	59308
16	तमिलनाडु	43940	34663
17	तेलंगाना	32782	23506
18	उत्तरप्रदेश	182348	128811
19	उत्तराखंड	19778	17658
20	पश्चिम बंगाल	105210	95750
21	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225
22	असम	59801	52911

23	मणिपुर	10747	9231
24	मेघालय	6153	6119
25	मिजोरम	2244	2244
26	नागालैंड	3980	3980
27	सिक्किम	1308	1308
28	त्रिपुरा	10275	10275
29	अंडमान और निकोबार	720	719
30	गोवा	1240	1191
31	पुदुच्चेरी	582	696
32	चंडीगढ़	435	439
33	लद्दाख	1163	1153
34	दिल्ली	10488	10833
35	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	404	397
36	लक्षद्वीप	58	56

अनुलग्नक II

"विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिलाएँ" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई अतिरिक्त टॉपअप राशि की जानकारी:

क्र.सं.	**राज्य**	**आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)**	**आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)**
1	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
2	बिहार	2,500	1,750
3	छत्तीसगढ	5,500	2,750
4	गुजरात	5,500	3,250
5	हरियाणा	10,250	5,650
6	हिमाचल प्रदेश	5,500	3,250
7	जम्मू और कश्मीर	600	300
8	झारखंड	5,000	2,500
9	कर्नाटक	7,000	4,500
10	केरल	8,500	6,750
11	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
12	महाराष्ट्र	8,500	5,250
13	ओडिशा	5,500	2,750
14	पंजाब	5,500-6,500	2,750-3,250
15	राजस्थान	5,510	3,674
16	तमिलनाडु	3,200	1,850
17	तेलंगाना	9,150	5,550
18	उत्तर प्रदेश	1,500	750
19	उत्तराखंड	4,800	3,000
20	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
21	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
22	असम	2,000	1,000
23	मणिपुर	1,000	600
24	मेघालय	3,000	1,000

25	मिजोरम	450	500
26	नागालैंड	शून्य	शून्य
27	सिक्किम	7,000	4,500
28	त्रिपुरा	3,500-5,946	2,750-4218
29	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
30	गोवा	5,500 -13,500	3,750 - 6,750
31	पुदुच्चेरी	1,950	2,125
32	चंडीगढ़	3,600	1,800
33	लद्दाख	1,300	650
34	दिल्ली	6,720	3,360
35	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3,500	1,750
36	लक्षद्वीप	5,500	4,750

अनुलग्नक- III

"विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिलाएँ" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रसोइया-सह-सहायक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25		
		पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	153	568	721
2	आंध्र प्रदेश	0	88296	88296
3	अरुणाचल प्रदेश	2011	3742	5753
4	असम	7473	101170	108643
5	बिहार	85706	159610	245316
6	चंडीगढ़	64	836	900
7	छत्तीसगढ	15090	78330	93420
8	दिल्ली	9231	11659	20890
9	डीएनएच और डीडी	61	1096	1157
10	गोवा	149	2691	2840
11	गुजरात	30456	65927	96383
12	हरियाणा	80	29942	30022
13	हिमाचल प्रदेश	3323	18154	21477
14	जम्मू और कश्मीर	7389	25005	32394
15	झारखंड	144	79142	79286
16	कर्नाटक	0	121637	121637
17	केरल	781	16892	17673
18	लद्दाख	170	754	924
19	लक्षद्वीप	6	14	20
20	मध्य प्रदेश	3217	203647	206864
21	महाराष्ट्र	17902	157299	175201
22	मणिपुर	168	6414	6582
23	मेघालय	5245	14850	20095
24	मिजोरम	790	4093	4883
25	नागालैंड	746	3877	4623

26	उड़ीसा	2747	109343	112090
27	पुदुच्चेरी	471	560	1031
28	पंजाब	1182	44018	45200
29	राजस्थान	15384	100019	115403
30	सिक्किम	859	1032	1891
31	तमिलनाडु	6585	121545	128130
32	तेलांगना	6215	47986	54201
33	त्रिपुरा	768	11520	12288
34	उत्तर प्रदेश	19595	352697	372292
35	उत्तराखंड	108	25949	26057
36	पश्चिम बंगाल	8031	222202	230233

अनुलग्नक- IV

"विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिलाएँ" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रसोइया-सह-सहायक को प्रतिमाह मानदेय

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**रसोइया-सह-सहायक - मानदेय प्रति माह (रु. में)**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रसोइया-सह-सहायक को हर महीने दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (रुपये में)***
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छत्तीसगढ	2000	1000
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	3250	2250
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	4500	3500
10	झारखंड	3000	2000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	4000	3000
14	महाराष्ट्र	2500	1500
15	मणिपुर	1000	0
16	मेघालय	2000	1000
17	मिजोरम	3000	2000
18	नागालैंड	1000	0
19	ओडिशा	2000	1000
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	2143	1143
22	सिक्किम	1000	0
23	तमिलनाडु	4100-12500	3100-11500
24	तेलंगाना	3000	2000

25	त्रिपुरा	2500	1500
26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	2000	1000
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1000	0
30	चंडीगढ़	4500	3500
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	6461	5461
32	दिल्ली	1000	0
33	जम्मू और कश्मीर	1000	0
34	लद्दाख	1000	0
35	लक्षद्वीप	18000-20200	17000-19200
36	पुदुच्चेरी	10000	9000

*स्रोत- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट में प्राप्त जानकारी से।

****